[2020] 2 एस. सी. आर 859

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

एम/एस। एसोसिएटेड कंटैनर टर्मिनल लिमिटेड।

(2008 की सिविल अपील सं. 4490)

14 फरवरी, 2020

[ए. एम. खानविलकर, हेमंत गुप्ता और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: एसएस। 61 , 63 , 72 और 150-का अधिरोपण

सीमा शुल्क-आयातक/आयातित वस्तुओं के मालिक द्वारा ऐसी वस्तुओं को जारी करने की मांग करने में विफल रहने की स्थिति में भंडारित वस्तुओं की नीलामी क्या सीमा शुल्क की गणना का आकलन गोदाम से वस्तुओं को हटाए जाने की तिथि के अनुसार किया जाएगा। 61 या बिक्री की तारीख को इस कारण से कि आयातक आयातित माल की मंजूरी लेने में विफल रहा है-आयोजितः केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिनांक 28 तारीख को जारी परिपत्र को ध्यान में रखते हुए

नवंबर, 2001 में सीमा शुल्क की गणना बिक्री मूल्य पर की जानी है, न कि उस शुल्क पर जो गोदाम की अनुमत अवधि की मानित समाप्ति की तारीख को देय है। बोर्ड राजस्व पर बाध्यकारी है-इसलिए, सीमा शुल्क का भुगतान गोदाम में रखी गई वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि प्रवेश पत्र दाखिल करते समय देय सीमा शुल्क के आधार पर या गोदाम की अनुमत अवधि समाप्त होने की तारीख पर।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. * केसोरम एक ऐसा मामला है जिसमें आयातक ने उन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने का दावा किया जो बंधन में रह गई थीं।

यह दावा करते हुए कि जिस तारीख को घरेलू उपभोग के लिए माल को हटाने की मांग की गई थी, उस तारीख को लागू होने वाला शुल्क, अनुमत अवधि से परे, प्रभार्य होगा। इस अदालत ने पाया कि माल को अवधि के संदर्भ में गोदाम में रखा जा सकता है

अधिनियम की धारा 61 के तहत निर्दिष्ट और इसलिए, धारा 68 और धारा 15 (1) (बी) केवल तभी लागू होती है जब माल को अनुमत अवधि के भीतर या अनुमत अवधि के साथ गोदाम से हटा दिया गया हो।

अनुमति प्राप्त अवधि या अनुमति प्राप्त अवधि से अधिक नहीं विस्तार। वर्तमान मामला सीमा शुल्क लगाने का मामला नहीं है

आयातक पर। आयातक ने गोदाम की अनुमत अवधि के भीतर माल जारी करने की मांग नहीं की है। इसलिए,

केसोरम में निर्णय आयातक द्वारा आयातित वस्तुओं को जारी करने की मांग करने में विफलता के कारण नीलामी की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होगा, हालांकि उचित अधिकारी से अनुमति के बाद। [पैरा 14-15] [867-G-H; 868-A-C]

* केसोरम रेयॉन बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता

अप्रयोज्य। 2.

धारा 63 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि -

वेयरहाउस-कीपर आयातक से किराया या वेयरहाउस शुल्क वसूल करता है। धारा 150 बिक्री के वितरण से संबंधित है।

अधिनियम की धारा 150 के तहत लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं के निपटान/बिक्री से बिक्री आय का विभाजन। यह था। सूचित किया गया कि सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किया जाएगा

लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं की बिक्री आय को सह-शुल्क मूल्य के रूप में मानते हुए पश्च गणना। शुल्क की गणना के लिए, बिक्री खर्च या किसी अन्य शुल्क के लिए किसी भी कटौती की अनुमति दिए बिना कुल बिक्री आय को सह-शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाना है।

राजस्व पर बाध्यकारी। इसलिए सीमा शुल्क का भुगतान गोदाम में रखी गई वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि प्रथा के आधार पर। प्रवेश पत्र दाखिल करते समय या गोदाम की अनुमत अवधि की समाप्ति की तारीख को देय शुल्क। [पारस 16-18]

[868 - डी-एच]

मामला कानून संदर्भ

[1996] 5 पूरक। एससीआर 77

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 3 भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। एसोसिएटेड कंटैनर टर्मिनल लिमिटेड।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4490

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.11.2007 से। (ग) 2005 की सं. 7995। तुषार मेहता, एस. जी., के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती बी. सुनीता राव, श्रीमती नीलम चंद, श्रीमती शिरीन खजुरिया, शंकर देवते,

बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

रुपेश कुमार, श्रीमती पंखुड़ी श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. 28 नवंबर, 2007 का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया

वर्तमान अपील में दिल्ली की याचिका चुनौती का विषय है। उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और अपीलकर्ताओं द्वारा 17 फरवरी, 2005 और 19 अप्रैल, 2005 के पत्रों के माध्यम से की गई मांग को कानून के अधिकार के बिना पाया गया और इस प्रकार, अपीलार्थी को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ कुल 47,146 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।

2. एक एम/एस। कुशांग अपैरल लिमिटेड ने सी. टी. वी. किटों का आयात किया था और सभी दिनांक 9 फरवरी, 2001 को प्रविष्टियों के छह बिल दाखिल किए थे। इस तरह के सामान को सीमा शुल्क विभाग द्वारा गोदाम में रखने की अनुमति दी गई थी। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के संदर्भ में वर्ष 1 आईसीडी, फरीदाबाद में। बॉन्ड की अवधि 28 फरवरी, 2002 को समाप्त हो गई, लेकिन आयातक ने आयातित वस्तुओं का भुगतान नहीं किया और गोदाम का किराया भी नहीं दिया। गोदाम ने अपने बकाया की वसूली के लिए नोटिस जारी किए, ऐसा न करने पर वह सार्वजनिक नीलामी/निविदा बिक्री द्वारा आयातित वस्तुओं को बेचने के लिए विवश होगा। सीमा शुल्क अधिकारियों की मंजूरी के साथ, आयातित वस्तुओं को अधिनियम की धारा 63 (2) के तहत नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए रखा गया था, जिसमें आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन रु. 1,52,04,176/- था। हालांकि, माल को सफलतापूर्वक बेचा नहीं जा सका। दूसरी नीलामी के लिए मूल्यांकन कम किया गया था।

4 सितंबर, 2002 को आयोजित रु। 1,36,83,759 / - और 7 मई, 2003 को आयोजित तीसरी नीलामी में इसे घटाकर 44,650/- कर दिया गया। रुपये की उच्चतम बोली। 35 अकेले लाखों प्राप्त हुए। नीलामी की पुष्टि नहीं हुई थी।

संक्षेप में, 'अधिनियम' [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. इसके बाद, माल के निपटान के लिए निविदा बिक्री का सहारा लिया गया।

गोदाम। गोदाम में आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन Rs.33 लाख निर्धारित किया गया था, जिसके लिए तीसरी तारीख तक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। दिसंबर, 2003। बाद में, 31 अगस्त, 2004 तक दूसरी निविदा बिक्री में मूल्यांकन घटाकर Rs.30 लाख कर दिया गया। इस बिक्री प्रक्रिया में, प्राप्त सबसे अधिक बोली Rs.41,44,555/- की थी। सहायक आयुक्त ने 12 अक्टूबर, 2004 को एक आदेश पारित किया कि माल को एक्स-बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री पर मंजूरी नहीं दी जाएगी क्योंकि यह अधिनियम की धारा 68 के तहत मंजूरी का मामला नहीं है, बल्कि केसोरम रेयॉन बनाम मामले में इस अदालत के फैसले के संदर्भ में अधिनियम की धारा 72 के तहत आरोपों की प्राप्ति पर है। सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता 2. बिक्री आय को तदनुसार विनियोजित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 105।

4. इसके बाद 2 फरवरी, 2005 को सहायक आयुक्त ने

सीमा शुल्क विभाग ने नीलामी किए गए माल की बिक्री और शुल्क के रूप में 92,080 रुपये के भुगतान के खर्च के रूप में 47,146 रुपये की राशि का भुगतान करने के बाद नीलामी खरीदार को जारी करने की अनुमति दी। प्रत्यर्थी ने शुल्क की राशि जमा की

और बैंक गारंटी भी प्रदान की। इसके बाद 4 मार्च, 2005 को प्रत्यर्थी को शेष राशि जमा करने के लिए कहा गया।

Rs.27,47,146/- तत्काल विफल होने पर बैंक गारंटी को लागू करने का इरादा था। इसके बाद 19 अप्रैल, 2005 को अतिरिक्त आयुक्त ने प्रतिवादी को सूचित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त का विचार है कि बोर्ड के 17 फरवरी, 2005 के स्पष्टीकरण और बकाया राशि के साथ मामला सुलझा लिया गया है।

सीमा शुल्क की वसूली की आवश्यकता होती है। बैंक गारंटी को लागू करने की मांग की गई थी जिसके कारण प्रतिवादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।

5. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित के साथ रिट याचिका की अनुमति दीः

निष्कर्षोंः

" 16. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर

जिसके लिए एक बांड निष्पादित किया गया है, उसे मंजूरी नहीं दी गई है घरेलू उपभोग। ऐसी स्थिति में माल का मालिक हो सकता है

पूरे कर्तव्य का भुगतान करने के लिए कहा। यह स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है

याचिकाकर्ता की तरह गोदाम-रखवाला और भुगतान की कोई मांग नहीं याचिकाकर्ता के खिलाफ सीमा शुल्क लगाया जा सकता है।

XX

XX

XX

2 (1996) 5 एस. सी. सी. 576 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. एम/एस। एसोसिएटेड कंटैनर टर्मिनल लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।]

20. इसलिए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 63 (2) के संदर्भ में नीलामी बिक्री आय से उसके कारण भंडारण शुल्क की वसूली करने में उचित ठहराया गया था। सरकारी कोषागार में जमा की गई शेष राशि को सीमा शुल्क द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

संगणित सीमा शुल्क के आंशिक भुगतान के लिए विभाग

इसके द्वारा "।

6. राजस्व के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि बिक्री आय का वितरण धारा के अनुसार होना चाहिए।

150 अधिनियम के तहत सीमा शुल्क से संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान है

अधिनियम के 150 (2) (ई) के तहत गोदाम शुल्क की वसूली पर जिन शुल्कों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भरोसा किया

केसोरम में इस न्यायालय का निर्णय। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 15 (1) (डी) पर विचार किया कि यदि वे सामान जिन्हें अनुमेय अवधि (धारा 61 के संदर्भ में) के भीतर गोदाम से नहीं हटाया जाता है, तो उन्हें गोदाम से अनुचित तरीके से हटाया गया सामान माना जाता है। इस तरह का अनुचित निष्कासन तब होता है जब माल गोदाम में अनुमत अवधि या उसके अनुमत विस्तार से अधिक रहता है। माल के आयातक को गोदाम से उनके हटाए जाने की तारीख पर लागू दर पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 13. जिन वस्तुओं को अनुमेय अवधि के भीतर गोदाम से नहीं हटाया जाता है, उन्हें गोदाम से अनुचित तरीके से हटाया गया सामान माना जाता है। इस तरह का अनुचित निष्कासन तब होता है जब माल अनुमत अवधि या उसके बाद गोदाम में रहता है।

अनुमति विस्तार। माल के आयातक को उन पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाया जा सकता है और आवश्यक रूप से, यह गोदाम से उनके हटाए जाने की तारीख पर लागू दर पर देय होगा, यानी उस तारीख को जिस पर अनुमति दी गई अवधि है।

या इसका स्वीकृत विस्तार समाप्त हो गया।

14. धारा 15 (1) (बी) उन वस्तुओं के मामले में लागू होती है जिन्हें धारा 68 के तहत गोदाम से घर के उपयोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर, शुल्क, ब्याज, जुर्माना, किराया और अन्य शुल्कों का भुगतान करने पर और घर की निकासी के लिए आदेश देने पर मंजूरी दी जाती है। धारा 68 और इसके परिणामस्वरूप, धारा 15 (1) (बी) के प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब माल को गोदाम से हटा दिया जाता है। अनुमत अवधि या
इसके अनुमत विस्तार और न कि जब, अनुमत अवधि [2020] 2 एस. सी. आर. से परे गोदाम में उनके रहने के कारण।

या इसके अनुमत विस्तार के तहत, माल को धारा 72 के तहत गोदाम से अनुचित तरीके से हटा दिया गया है।

XX

XX

XX

17. भंडारित वस्तुओं को न हटाने का परिणाम

अनुमत अवधि या अनुमत विस्तार, के आधार पर है

धारा 72 की शर्तें निश्चित हैं। जिस तारीख को यह समाप्त होता है

शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि। जब कर्तव्य

वास्तव में मांग प्रासंगिक नहीं है। वैकल्पिक प्रस्तुति

इसलिए, अपीलार्थियों की ओर से भी खारिज किया जाना चाहिए।

8. उक्त निर्णय के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि कर्तव्य

आयातित माल पर बी. एल. ई. का आकलन मानित तिथि पर किया जाना चाहिए।

घरेलू उपभोग के लिए गोदाम से माल का मूल्य अर्थात गोदाम अवधि के एक वर्ष की अवधि यानी 28 फरवरी, 2002 को। अतः उस दिन के रूप में देय सीमा शुल्क की वसूली की जानी है।

बिक्री आय और अधिनियम की धारा 150 (2) के संदर्भ में,

एम शुल्क का भुगतान गोदाम शुल्क की वरीयता में किया जाना है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः

" धारा 63. किराया और गोदाम शुल्क का भुगतान। - (1) किसी भी भंडारित माल का मालिक गोदाम को भुगतान करेगा।

किसी भी दर के तहत निर्धारित दरों पर रखवाला किराया और गोदाम शुल्क उस समय लागू कानून या जहां कोई दरें इतनी निश्चित नहीं हैं,

ऐसी दरें जो प्रधान आयुक्त द्वारा निर्धारित की जा सकें

सीमा शुल्क या सीमा शुल्क आयुक्त। (2) यदि दस दिनों के भीतर कोई किराया या गोदाम शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है

जिस तारीख से वे देय हो गए, गोदाम-रखवाला भंडारित माल के मालिक को नोटिस के बाद और भंडारित माल के बावजूद) ऐसा पर्याप्त हिस्सा वेयरहाउस-कीपर के रूप में माल का चयन कर सकते हैं।

XX

XX

XX

धारा 71। इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा गोदाम से सामान नहीं निकाला जाएगा। - भारत और ओ. आर. एस. में घरेलू उपभोग के लिए निकासी के अलावा किसी भी भंडारित सामान को गोदाम से बाहर नहीं निकाला जाएगा।

वी. एम/एस। एसोसिएटेड कंटैनर टर्मिनल लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।]

या किसी अन्य गोदाम को निर्यात या हटाने के लिए, या जैसा कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया है।

XX

XX

XX

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत माल बेचा जाना है, वे - इसके मालिक को नोटिस दिए जाने के बाद, सार्वजनिक नीलामी द्वारा या द्वारा बेचा जाएगा।

निविदा या किसी अन्य तरीके से मालिक की सहमति से।

(2) ऐसी किसी भी बिक्री की आय लागू होगी -

(क) सबसे पहले बिक्री के खर्चों का भुगतान करना,

(ख) माल ढुलाई और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद,

बेचे गए माल के संबंध में वाहक को देय, यदि

ऐसे आरोप उस व्यक्ति को दिए गए हैं जिसकी अभिरक्षा में

सामान,

(ग) बेचे गए माल पर शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद,

माल की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति के कारण बेचा गया, (ई) मालिक से देय किसी भी राशि के भुगतान के बाद

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को माल

या रीति-रिवाजों से संबंधित कोई अन्य कानून, और शेष राशि, यदि कोई हो,

माल के मालिक को भुगतान किया जाए।

9. प्रत्यर्थी के लिए सीखा हुआ परामर्श के अध्याय 21 को संदर्भित करता है

के निपटान से संबंधित उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नियमावली बोर्ड

आई. एम. डी./अछूता माल। नियमावली के प्रासंगिक खंडों को पढ़ा गया

देरः

" 7. एक बार माल बेचे जाने के बाद, माल पर सीमा शुल्क है गणना की गई। सीमा शुल्क की गणना के लिए, बिक्री आय

लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं की बिक्री से सह-शुल्क लिया जाता है। मूल्य (मूल्य + शुल्क) और सीमा शुल्क की गणना काम करते हुए की जाती है।

प्राप्त कीमत पर पीछे की ओर।

माल की बिक्री से प्राप्त आय का विभाजनः

8. लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं पर, सीमा शुल्क के प्रति देनदारियाँ शुल्क के साथ-साथ वाहक के शुल्क और भंडारण शुल्क उत्पन्न होते हैं, जो [2020] 2 एस. सी. आर.

बिक्री आय से वसूली की जानी है। इसके अलावा, ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर हुए बिक्री खर्च की वसूली की जानी है। में। अधिकांश मामलों में, ऐसी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय सभी एजेंसियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में,

सवाल यह उठता है कि किस दायित्व को पहले पूरा किया जाना है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 150 (2) में प्रावधान किए गए हैं। ऐसी किसी भी बिक्री से प्राप्त आय

लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जाना चाहिएः (क) सबसे पहले, बिक्री के खर्चों के भुगतान के लिए,

(ख) बेचे गए माल के संबंध में देय माल ढुलाई और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बगल में, वाहक को, यदि

ऐसे आरोप संरक्षकों को दिए गए हैं,

(ग) बेचे गए माल पर शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद,

(घ) माल की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति के कारण बेचे गए माल के संबंध में शुल्क के भुगतान के बाद,

(ई) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत माल के मालिक से केंद्र सरकार को देय किसी भी राशि के भुगतान के बाद।

या सीमा शुल्क से संबंधित कोई अन्य कानून। उपरोक्त भुगतान करने के बाद, यदि कोई शेष राशि बची रहती है, तो उसका भुगतान माल के मालिक को किया जाना है।

10. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 28 नवंबर को जारी एक अन्य परिपत्र का संदर्भ दिया गया है। द सर्कुलर

निम्नानुसारः

" कंटेनर निगम से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था भारत (सी. ओ. एन. सी. ओ. आर.) ने कहा कि बिक्री आय के विभाजन के संबंध में कस्टम हाउसों में प्रथा में भिन्नता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150 के तहत लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं के निपटान/बिक्री से। यह बताया गया था कि कुछ सीमा शुल्क घरानों ने नीलाम की गई वस्तुओं पर देय सीमा शुल्क का निर्धारण माल की बिक्री आय से बिक्री खर्च को घटाने के बाद किया है, जबकि अन्य सीमा शुल्क घरानों ने इस पर शुल्क का निर्धारण किया है।

बिना किसी कटौती की अनुमति के बिक्री आय का आधार।

2. इस मामले की जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(क) सीमा शुल्क का निर्धारण भारत और ओ. आर. एस. के संघ के रूप में लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं की बिक्री आय पर विचार करते हुए पश्च गणना द्वारा किया जाएगा।

वी. एम/एस। एसोसिएटेड कंटैनर टर्मिनल लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।]

सह-शुल्क मूल्य। शुल्क की गणना के लिए, बिक्री खर्च या किसी भी तरह की कटौती की अनुमति दिए बिना कुल बिक्री आय

अन्य शुल्क को सह शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाना है। (ख) सीमा शुल्क के निर्धारण के बाद, लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं की बिक्री आय को इस तरह से विनियोजित किया जाना है -

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 150 (2) में उपबंध। 3. इन निर्देशों को उपयुक्त सार्वजनिक सूचना/स्थायी आदेश जारी करके सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।

4. इन निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो बोर्ड के संज्ञान में लाई जा सकती है। कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति को स्वीकार करें "।

11. वर्तमान अपील में जिस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सीमा शुल्क की गणना का आकलन गोदाम से माल को हटाने की तारीख को केसोरम में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई धारा 61 के संदर्भ में या बिक्री की तारीख को इस कारण से किया जाएगा कि आयातक आयातित माल की मंजूरी लेने में विफल रहा है।

12. अपीलार्थियों के अनुसार, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार धारा के संदर्भ में गोदाम शुल्क की वसूली के अधिकार से बेहतर है

150 अधिनियम और उस बिक्री का संचालन धारा 72 के तहत किया गया था न कि अधिनियम की धारा 63 के तहत। यदि राजस्व के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो सीमा शुल्क निविदा बिक्री में प्राप्त मूल्य से बहुत अधिक होगा। हालांकि, यदि सीमा शुल्क की गणना की तारीख को बिक्री की तारीख माना जाता है, तो Rs.27,47,146/- की राशि की मांग असमर्थनीय होगी।

विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद ऐसा न करने पर शुल्क की पूरी राशि का भुगतान सभी किराए, जुर्माने, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ देय होगा। 14. केसोरम एक ऐसा मामला है जिसमें आयातक ने सीमा शुल्क लगाने का दावा किया जो अनुमत अवधि से अधिक समय तक बंधुआ गोदाम में बना रहा।

यह दावा करते हुए कि जिस तारीख को घरेलू उपभोग के लिए माल को हटाने की मांग की गई थी, उस तारीख को लागू शुल्क प्रभार्य होगा। इस न्यायालय ने पाया कि माल को अधिनियम की धारा 61 के तहत निर्दिष्ट अवधि के संदर्भ में गोदाम में रखा जा सकता है और इसलिए, धारा 68 और [2020] 2 एस. सी. आर.

धारा 15 (1) (बी) केवल तभी लागू होती है जब माल को अनुमति प्राप्त अवधि के भीतर या अनुमति प्राप्त विस्तार के साथ गोदाम से हटा दिया गया था और अनुमति प्राप्त अवधि या अनुमति प्राप्त विस्तार से आगे नहीं।

15. वर्तमान मामला आयातक पर सीमा शुल्क लगाने का मामला नहीं है। आयातक ने माल जारी करने की मांग नहीं की है

गोदाम की अनुमत अवधि। इसलिए, केसोरम में निर्णय आयातक द्वारा आयातित वस्तुओं को जारी करने की मांग करने में विफलता के कारण नीलाम की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होगा।

उचित अधिकारी से अनुमति के बाद। 16. अधिनियम की धारा 63 भंडारित माल के मालिक को किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारित दरों पर किराया और गोदाम शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करती है।

तत्काल प्रवृत्त विधि या ऐसी दरों पर जो सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएं। यदि किराया या गोदाम शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो गोदाम-रखवाला माल या सामान के ऐसे पर्याप्त हिस्से को बेचने के लिए सक्षम है जिसे गोदाम-रखवाला उचित अधिकारी की अनुमति के बाद चुन सकता है। इस प्रकार, धारा 63 यह सुनिश्चित करने के लिए है कि गोदाम-रखवाला किराए या गोदाम शुल्क की वसूली करता है।

आयातक। 17. धारा 150 बिक्री आय के वितरण से संबंधित है यदि जब्त किए गए माल के अलावा अन्य सामान किसी भी प्रावधान के तहत बेचे जाते हैं -

अधिनियम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिनियम की धारा 150 के तहत लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं के निपटान/बिक्री से बिक्री आय के विभाजन के संबंध में प्रथा के विचलन को ध्यान में रखते हुए 28 नवंबर, 2001 को एक स्पष्टीकरण जारी किया था। यह सूचित किया गया था कि सीमा शुल्क का निर्धारण लावारिस/अस्वीकृत वस्तुओं की बिक्री आय को सह शुल्क मूल्य के रूप में देखते हुए पीछे की गणना द्वारा किया जाएगा। शुल्क की गणना के लिए, बिक्री खर्च या किसी अन्य शुल्क के लिए किसी भी कटौती की अनुमति दिए बिना कुल बिक्री आय को सह-शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाना है।

18. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, सीमा शुल्क की गणना बिक्री मूल्य पर की जानी है न कि उस शुल्क पर जो गोदाम की अनुमत अवधि की मानित समाप्ति की तारीख को देय है। बोर्ड का ऐसा परिपत्र बाध्यकारी है - राजस्व। इसलिए, सीमा शुल्क का भुगतान गोदाम में रखे गए माल की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि प्रवेश पत्र दाखिल करने के समय या गोदाम की अनुमत अवधि की समाप्ति की तारीख पर देय सीमा शुल्क के आधार पर।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। एसोसिएटेड कंटैनर टर्मिनल लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।]

19. नतीजतन, वर्तमान अपील का निपटान संकेतित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क का पता लगाने के निर्देशों के साथ किया जाता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड और सीमा शुल्क नियमावली के अध्याय 21 के सक्षम प्रावधानों में दिनांकित परिपत्र के साथ पढ़ा गया

20 नवंबर, 2011 तक और उक्त अधिनियम की धारा 150 (2) में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार इसे समायोजित करें। इसके अलावा, अगर रुपये की राशि में बैंक गारंटी। 27,47,146 / - (सत्ताईस लाख सैंतालीस हजार एक सौ छियालिस रुपये) पहले ही अपीलकर्ताओं द्वारा लागू किए जा चुके हैं, उक्त राशि आज से तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, बिक्री की आय का उचित समायोजन करने के बाद, जैसा कि अब तक संकेत दिया गया है, प्रत्यर्थी को सौंप दी जाएगी।

20. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

लागतों के लिए।

देविका गुजराल

अपी

ल का निपटारा किया गया।